

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
//पेंशन हेतु आवेदन प्रारूप//

प्रति,

1. ग्राम पंचायत सचिव / मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

ग्राम पंचायत
जनपद पंचायत,.....
जिलामध्यप्रदेश ।

2. आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगर निगम / नगरपालिका /नगर परिषद.....
जिला मध्यप्रदेश ।

कल्याणी का
फोटोग्राफ

PDF is available on
samagraportalmp.com

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन स्वीकृत एवं प्रदान करने बाबत।

1. कल्याणी की 9 अंको की समय आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. कल्याणी का 12 अंको का आधार कार्ड नम्बर (यदि हो तो)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. कल्याण का बी पी एल कार्ड नम्बर (यदि हो तो)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. कल्याणी का नाम

5. स्व. पति का नाम

6. जाति वर्ग (एस सी/ एस टी / ओ बी सी / सामान्य)

7. कल्याणी का जन्म तिथि/...../.....आयु.....

8. कल्याणी का मोबाईल नम्बर

9. स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक

10. कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता

11. परिवार की वार्षिक आय

12. क्या कल्याणी आयकरदाता है ?..... (हां / नहीं)

13. क्या कल्याणी को शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी है ?.... (हां / नहीं)

14. क्या कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ?..... (हां / नहीं)

15. क्या कल्याणी को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो रही है ?.....(हां / नहीं)

16. कल्याणी का बचत खाता नम्बर की जानकारी-

बचत खाता नम्बर-

बैंक का नाम व पता-

आईएफएससी कोड नम्बर -

कल्याणी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

परिशिष्ट-ब-

//स्व प्रमाणित घोषणा पत्र//

मैं.....पति.....

निवासी..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है ,
3. आयकरदाता नहीं हूं,
4. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी नहीं हूं,
5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।

दिनांक

स्थान

आवेदिका के हस्ताक्षर /
अंगूठे का निशान

परिशिष्ट- ई

//स्वीकृत आदेश//

कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद
.....जिलाम.प्र

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती

पतिनिवासी..... ग्राम /नगर

तहसील/विकासखण्ड.....जिला.....म.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है ।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को कल्याणी विवाह सहायता योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है -

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना योजना में निर्धारित पात्रता के मापदंडों को पूर्ति होने के कारण पेंशन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक

स्थान

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगरपालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी

परिशिष्ट - द-

//अस्वीकृत आदेश//

कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद
.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती
पतिनिवासी..... ग्राम /नगर
तहसील/ विकासखण्डजिलाम.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है ।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है -

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र	हां /नहीं
2. कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र	हां /नहीं
3. कल्याणी की 9 अंको की समय आईडी	हां /नहीं
4. कल्याणी की आयु प्रमाण पत्र	हां /नहीं
5. कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोर्ड स्पष्ट प्रदर्शित हो	हां /नहीं
6. कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र	हां /नहीं
7. कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषित पत्र	हां /नहीं
8. कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र	हां /नहीं
9. कल्याणी के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ	हां /नहीं

दिनांक

स्थान

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगरपालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी

परिशिष्ट -स

// पावती //

कार्यालय ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरनिगम/नगरपालिका/नगर परिषद
.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

श्रीमतीसमय आईडी

पति.....समय आईडी.....

ग्राम /नगर

तहसील / विकासखण्डजिलाम.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ।

दिनांक

स्थान

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगरपालिका/नगर परिषद
द्वारा अधिकृत अधिकारी